26/8/25

C

26/8/25 फरियादी पक्ष व वकील अर्थी उपस्थित, प्रतिवादीगण के इजरा अर्थना पत्र के जवाब पेश हेतु आज की तारीख के जवाब के उपरांत इजरा अर्थना पत्र के अग्रिम कार्यवाही अंतर्गत नहीं है अतः इजरा अर्थना पत्र के अग्रिम कार्यवाही हेतु सरकार द्वारा दी जाने हेतु फाइल अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय के समक्ष प्रस्तुत करावे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुरवाटी (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Samore
Date: 2024.08.06 15:43:16 IST
Reason: SelfAttested